कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::सूचना::

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2022 दिनांकः 07.09.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान एवं अन्य संघो से प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगपत्रों के क्रम में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2022 सोमवार को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक के संलग्न कार्यवाही विवरण के संबंध में दिनांक 20.10.2022 तक सुझाव/टिप्पणी आमंत्रित किए है, जो इस कार्यालय की ईमेल आईडी secondarydd4@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकते है। इस संबंध में सभी पक्षकारगण सूचित होवें। उक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त सुझाव/टिप्पणी को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

संलग्न :– यथोपरि।

Rajasthan Education Department

(रमेश कुमार हर्ष)
उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/माध्य/अ–I/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2022/ दिनांक : 11/10/22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
2. उपनिदेशक (प्रशासन) कार्यालय हाजा।
3. सहायक निदेशक(सामान्य प्रशासन अनुभाग–प्रथम/माध्यमिक) कार्यालय हाजा।
4. अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा विभगीय संयुक्त कर्मचारी संघ।
5. अध्यक्ष, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ।
6. जनसाधारण।
7. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

बैठक कार्यवाही विवरण

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा–मा/माध्य/अ–1/21310/स्टाफिंग पैटर्न/2022 दिनांकः 07.09.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ, शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान एवं अन्य संघो से प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगपत्रों के क्रम में श्री धर्मेन्द्र जोशी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2022 सोमवार को निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के कांन्फ्रेंस हॉल में प्रातः 11:00 बजे बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य से उपस्थित रहे :

1.	श्री दयाशंकर अरड़ावतिया	उपनिदेशक (प्रशासन)	सदस्य
2.	श्री कौशल पंवार	सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन अनुभाग–1)	सदस्य
3.	डॉ. प्रमोद कुमार चमोली	सहायक निदेशक (माध्यमिक)	सदस्य सचिव
4.	श्री आनन्द कुमार साध	शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित संघ का पदाधिकारी	सदस्य
5.	श्री गिरिजाशंकर आचार्य	शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनित संघ का पदाधिकारी	सदस्य

उक्त बैठक में उपस्थित रहे मंत्रालियक कर्मचारियों संगठनो से प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगपत्रों अनुरूप स्टाफिंग पैटर्न एवं अन्य से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा की गई जिसके संबंध में सर्वसम्मति से निम्नांकित संशोधनों हेतु प्रस्ताव लिए गये:–

➢ विद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के पदो के निर्धारण हेतु शासन द्वारा जारी स्टॉफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 30.04.2015 के बिन्दु सं 4.1 व 4.2 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित्त हैः–

1 — 4.1 के प्रथम इण्डेक्स में प्रस्तावित्त संशोधन :–

वर्तमान प्रावधान			संशोधित प्रावधान
क्र. स.	नामांकन कक्षा 6 से 10	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	बिन्दू संख्या 4.1 में शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.03.2022 से समस्त मावि विद्यालयों को उमावि में क्रमोन्नत कर दिया गया है एवं अब क्रमोन्नति उप्रावि से उमावि में की जानी है। अतः उक्त विलोपन किया जाना उचित है।
01	1 से 100	LDC-1	
02	101 से 500	LDC-1 UDC/OA-1	
03	501 से 1000	LDC-1 UDC/OA-2	
04	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	

4.1 के प्रथम इण्डेक्स में संशोधन का औचित्य :– उक्तानुसार माध्यमिक विद्यालय के नहीं होने के कारण उक्त संशोधन उचित है।

2. बिन्दु संख्या 4.1 की द्वितीय इण्डेक्स में प्रस्तावित्त संशोधन :–

वर्तमान प्रावधान			संशोधित प्रावधान	
क्र. स.	नामांकन कक्षा 6 से 12	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA	नामांकन कक्षा 1 से 12	मंत्रालयिक कर्मचारी LDC/UDC/OA/ AAO/Add.A.O.
01	1 से 100	LDC-1	1 से 100	LDC/UDC/OA-1
02	101 से 500	LDC-1 UDC/OA-1	101 से 500	LDC-1 UDC/AAO/Add.A.O.-1
03	501 से 1000	LDC-1 UDC/OA-2	501 से 1000	LDC-1 UDC/AAO/Add.A.O.-2
04	1000 से अधिक	LDC-2 UDC/OA-2	1000 से अधिक	LDC-2 (1000 से अधिक होने पर प्रत्येक 500 नामांकन पर पर 01 कनिष्ठ

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

				सहायक / वरिष्ठ सहायक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी) UDC/AAO/Add.A.O.-2
05	-	-	1500 से अधिक पर	1000 से अधिक प्रत्येक 500 नामांकन पर 01 कनिष्ठ सहायक / वरिष्ठ सहायक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त दिया जावें। कुछ विद्यालयों में 3000 तक का नामांकन हैं।

बिन्दु 4.1 के द्वितीय इण्डेक्स में संशोधन का औचित्यः

01. शासन द्वारा उक्त मानदण्ड जारी किये गये थे, उस समय विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक / वरिष्ठ सहायक / कार्यालय सहायक / कार्यालय अधीक्षक तक के पद ही स्वीकृत थे। जिनमें भी उच्च पदों की संख्या कम ही थी। इसलिए विद्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च एक पद कार्यालय अधीक्षक के अतिरिक्त सभी प्रकार के पद विद्यालयों में रखे गये थे। अब चूंकि मंत्रालयिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक / वरिष्ठ सहायक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी / अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी / संस्थापन अधिकारी तक के पद हैं। शासन ने शिक्षा विभाग में उक्त पदों का कुल स्वीकृत पदो के आधार पर नये मानदण्डानुसार पदों का आवंटन भी कर दिया गया हैं जिसमें वित्तरण / कटौती की प्रकिया भी पूर्ण कर ली गई हैं। जिसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद का आवंटन भी विद्यालय स्तर पर किया गया हैं। वांछित संशोधन भी उक्त आधार पर ही चाहा गया हैं।
02. मंत्रालयिक संवर्ग के पदो के लिए – चूंकि वित्त विभाग ने अपने अ0शासकीय टीप 25.05.2022 द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के पदों का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर किया हैं। अतः उक्त मानदण्ड की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक है कि पदों को स्वीकृत करने हेतु एक पद तक सीमित न रखा जाकर पद स्वीकृत करने में विकल्प यथा LDC/UDC/OA-1 अथवा UDC/AAO/Add.A.O.-1 का विकल्प रखा जावें ताकि वित्त विभाग के मानदण्ड लागू किये जा सकें। जैसा कि स्टॉफिंग पैटर्न का नियम भी इसकी पालना के बारे में कहता हैं।
03. वर्तमान में स्टॉफिंग पैटर्न मानदण्ड मात्र एक हजार तक की छात्र संख्या तक या इससे उपर होने पर एक पद दिये जाने के बारे में निर्देशित करता हैं। लेकिन आज दिनांक में 1001 से 1500 तक की छात्र संख्या के लगभग 157 एवं 1500 से 3000 तक की छात्र संख्या के लगभग 40 विद्यालय हैं। इस लिए एक हजार की छात्र संख्या के उपरांत प्रत्येक 500 पर नये पद का मानदण्ड निर्धारित किया जाना आवश्यक हैं।

04.	बिन्दु संख्या 4.2 में निम्नानुसार संशोधन अपेक्षितः	
	वर्तमान प्रावधान	**संशोधित प्रावधान**
01.	वरिष्ठ सहायक एवं कार्यालय सहायक के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित पदों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। पदों मे कमी अथवा वृद्धि कनिष्ठ सहायक के पदों में ही की जायेगी।	"पदों में कमी अथवा वृद्धि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड कमांक एफडी / ई–2 / कार्मिक–5 / 2022–23 जयपुर दिनांक 25.05.2022 के उल्लिखितानुसार किया जाना प्रस्तावित्त है।" (प्रति संलग्न)

- **बिन्दु संख्या 4.2 में निम्नानुसार संशोधन का औचित्यः**

01. मंत्रालयिक कर्मचारियों के वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में अ.शा.टीप सं. पं.14(9) वित्त / नियम / 2013 पार्ट–1 जयपुर दिनांकः 24.04.2017 जारी किये गये थे तत्पश्चात् वित्त विभाग के नवीन मानदण्ड क्रमांक एफडी / ई–2 / कार्मिक5 / 2022–23 जयपुर दिनांक 25.05.2022 द्वारा प्रतिशत के आधार पर

निर्धारित किये गये हैं। नवीन मानदण्डानुसार पदों का निर्धारण/कटौति की जा चुकी है। अतः उक्तानुसार समिति द्वारा संशोधन स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन प्रस्तावित किये जाते है।

(धर्मेन्द्र जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

(दयाशंकर अरड़ावतिया)
उपनिदेशक (प्रशासन)

(कौशल पंवार)
सहायक निदेशक (साप्रअ–1)

(डॉ. प्रमोद कुमार चमोली)
सहायक निदेशक (माध्यमिक)

(आनन्द कुमार साध)
अध्यक्ष
(शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ)

(गिरिजाशंकर आचार्य)
अध्यक्ष
(शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते